



## सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 11.06.2026

- थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए बालिका को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वाँछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना भोगनीपुर पर दिनांक 30.05.2026 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 188/2026 धारा 87/61(2) बीएनएस बनाम 1.विवेक पुत्र मनोहरि, 2.विवेक के पिता मनोहरि पुत्र अज्ञात 3. विवेक का भाई नाम अज्ञात पुत्र मनोहरि निवासीगण ग्राम बिदखुरी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात, 4.शिवा पुत्र राजकिशोर, 5.शिवा की माँ भूरी पत्नी राजकिशोर निवासीगण ग्राम सुखसौरा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया । थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता के बयान/अवलोकन धारा 180/183 बीएनएसएस, अवलोकन मेडिकल परीक्षण व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1)/351(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है। थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नामित अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ सुरेश कुमार पुत्र अवधेश कुमार उर्फ मनोहरि निवासी ग्राम बिदखुरी की मडैया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 11.06.2026 को हरदुआ पुल टैंपो स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

### गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. विवेक कुमार उर्फ सुरेश कुमार उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र अवधेश कुमार उर्फ मनोहरि निवासी ग्राम बिदखुरी की मडैया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ।

### गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. प्र0 नि0 श्री सतीश कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री वीरपाल सिंह
3. रि0का0 1044 प्रवीन कुमार